न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

दावा सं0––10 / 2026 (जीसीएमएस–2026 / 40)

प्रविष्टि दिनांक––20.01.2026

1. ज्ञानचन्द जैन पुत्र चिरंजीलाल जैन जाति महाजन निवासी जैन नसिया मंदिर के सामने चौहाटी बाजार निवाई जिला टोंक राज. मो.
2. राजाराम गुर्जर पुत्र भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी वडोदिया तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. देवी इशरानी पत्नी पुरूषोंत्तम दास इशरानी जाति सिंधी निवासी इन्द्रा कॉलोनी निवाई कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र कालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बालापरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. बजरंगलाल पुत्र कालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बालापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. रामेश्वर पुत्र कालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बालापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. रामसहाय पुत्र कालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बालापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. लालाराम पुत्र कालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बालापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री नरेन्द्र कुमार जाट – वकील वादीगण

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अतिचारियों की बेदखली

दिनांक : 02/5/26

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। वादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम भी ऑनलाईन राजस्व शीट में अलग से हो रखी है सभी तरमीमे ऑनलाईन शीट में रकबे अनुसार सुनिश्चित है। वादीगण उक्त अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3412 वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3425 के सटवा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त भूमि के कुछ भाग व हिस्से पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया एवं प्रतिवादीगण वादीगण के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण को झूठे मुकदमो में फंसाने की धमकी दी एवं प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण किये हुये है। वादीगण कानून पर विश्वास रखने सम्य लोग एवं प्रतिवादीगण लठबल व भुजबल वाले लोग है जिन्होने जबरन दादागिरी वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जब वादीगण ने कहा कि हमारी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण क्यो कर रहे तो प्रतिवादीगण धमकी दी कि हम जहां अतिक्रमण कर लेते वहां से हमे कोई नही हटा सकता हम कानून को जेब में रखकर चलते है यदि तुम मौके पर आये तो तुम्हें जान से हाथ धोना पडेगा या फिर तुम्हे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे इस प्रकार वादीगण अपनी भूमि के खातेदार होते हुये भी हैरान परेशान हो रहे है। इसलिये मान्य न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन करते है कि

उपखण्ड अधिकारी

ादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण किये गये अतिक्रमण को जरिये पुलिस सहायता हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। साथ बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की इस अगर से डिक्री फरमाई जावे कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है से प्रतिवादीगण को बेदखल कर पाबन्द किया जावे कि भविष्य में वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा न करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत दखलअन्दाजी अडचने पैदा नही करे। उक्त ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं नही करे तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति से नही करावे हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द रहै। इस आशय की डिक्री बहक वादीगण पारित फरमावे।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के पक्ष मे साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण समस्त के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य सपथ–पत्र पी डब्ल्यू–1, पी डब्ल्यू–2, पी डब्ल्यू–3 प्रस्तुत किये गये एवं जमाबन्दी संवत 2070–2073 पर प्रदर्श–1 एवं खसरा गिरदावरी पर प्रदर्श–2 अंकित किये गये।

वादीगण की ओर से पेश साक्ष्य शपथ–पत्रों पी डब्ल्यू–1, पी डब्ल्यू–2, पी डब्ल्यू–3 में वादीगण द्वारा सशपथ लिखा गया है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। हम वादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम भी ऑनलाईन राजस्व शीट में अलग से हो रखी है सभी तरमीमें ऑनलाईन शीट में रकबे अनुसार सुनिश्चित है। वादीगण उक्त अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3412 वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3425 के सटवा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त भूमि के कुछ भाग व हिस्से पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया एवं प्रतिवादीगण वादीगण के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी एवं प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण किये हुये है। वादीगण कानून पर विश्वास रखने सम्य लोग एवं प्रतिवादीगण लठबल व भुजबल वाले लोग है जिन्होने जबरन दादागिरी वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जब हम वादीगण ने कहा कि हमारी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण क्यो कर रहे तो प्रतिवादीगण धमकी दी कि हम जहां अतिक्रमण कर लेते वहां से हमे कोई नही हटा सकता हम कानून को जेब में रखकर चलते है यदि तुम मौके पर आये तो तुम्हें जान से हाथ धोना पडेगा या फिर तुम्हे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे इस प्रकार वादीगण अपनी भूमि के खातेदार होते हुये भी हैरान परेशान हो रहे है। प्रतिवादीगण को बेदखल कर पाबन्द किया जावे कि भविष्य में वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा न करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत दखलअन्दाजी अडचने पैदा नही करे। उक्त ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं नही करे तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति से नही करावे हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द फरमावै।

अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। वादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम भी ऑनलाईन राजस्व शीट में अलग से हो रखी है जो रकबे अनुसार सही है। वादीगण उक्त अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3412 वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3425 के सटवा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त भूमि के कुछ भाग व हिस्से पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया है जबकि कानूनन प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त भूमि पर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण ने जबरन कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा वादीगण को हैरान परेशान कर रहे है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिनकी रक्षा हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिनकी रक्षा हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत दखलअन्दाजी अडचने पैदा नही करे। उक्त ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं नही करे तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति से नही करावे हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द फरमावे। इस आशय की डिक्री वहक वादीगण पारित फरमावे।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्ट0 वाके कस्बा निवाई की उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070–73 के अवलोकन से स्पष्ट है वादग्रस्त उक्त आराजियात वादीगण की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन भू–नक्शा शीट की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके कस्बा निवाई के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 3425 की तरमीम पृथक से दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में उपलब्ध छायाप्रति प्रपत्र संख्या प–13(खसरा गिरदावरी) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजियात पर वादीगण का वैध अधिकार/कब्जा है। प्रतिवादीगण को नियमानुसार तामिल जारी की जाकर तलब किया किन्तु प्रतिवादीगण आदिनांक न्यायालय में उपस्थित नही हुये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों/साक्ष्य सपथ पत्रों के अवलोकन से प्रमाणित होता है उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण विधिक खातेदार काश्तकार हैं एवं उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में समस्त विधिक अधिकार वादीगण को प्राप्त हैं। प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात पर कब्जा करने, वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा मजाहमत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया गया हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में अपने पक्ष में कोई साक्ष्य/तथ्य नहीं रखते है। ऐसे में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना विधि सम्मत एवं आवश्यक प्रतीत होता हैं। वाद वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अतिचारियो की बेदखली स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अतिचारियो की बेदखली स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3425 रकबा 1.4670 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार पुलिस जाप्ता प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करे।

निर्णय आज दिनांक 02/4/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई